

२७/११
गुरप्रेष
M.A.
27/11/24

आज यह पत्रावली प्राची व प्राची
अधिवक्ता के द्वारा मूलवाद में प्राचीना
पत्र पेश करने पर पेशी में ली गयी
प्राचीना पत्र में विवेदन किया गया कि
प्रकरण में हम पक्षकारान का राजीनामा
हो चुका है। इसलिए प्राचीना पत्र
स्वार्जित किया जावे।

प्राची व प्राची अधिवक्ता को सुना
गया व पत्रावली का अवलोकन किया
गया। लिहाजा प्राची व प्राची अधिवक्ता
के द्वारा प्राचीना पत्र अन्तर्गत धारा २२
RTA नोटिफिकेशन करने पर प्राचीना पत्र
स्वार्जित किया जाकर प्रकरण में जारी
अस्थायी विधेधाना दिनांक २०/११/२०२५
भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्गति
होकर नम्बर से कम होकर वापिस
पकृत हो।



R
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर